



AN ISPS Code Compliant Port

## मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
 "साारसी" सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासनिक कार्यालय भवन, हेडलैण्ड सडा, गोवा - 403804.  
**MORMUGAO PORT AUTHORITY**  
 (MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS, GOVT. OF INDIA)  
 "SAARASI" GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, ADMINISTRATIVE OFFICE BLDG.,  
 HEADLAND SADA, GOA - 403 804.  
 Website : <https://www.mptgoa.gov.in> Email : [secretary@mptgoa.gov.in](mailto:secretary@mptgoa.gov.in)  
 दूरभाष(कार्य)/Tel.(Off.): 0832-2521120 फॅक्स/Fax : 0832-2521125  
 Certified for ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 management systems

Gati Shakti



SAGARMALA

GAD/LB(46-RTI)/2025/04670

07/02/2025

### कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और केंद्रीय सहायक लोक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) का मुरगाव बंदरगाह प्राधिकरण में नामांकन।

Sub: Nomination of Central Public Information Officer (CPIO) and Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) at Mormugao Port Authority

संदर्भ के तहत जारी कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक जीएडी/एलबी/46-आरटीआई/2025/04467 दिनांक 17.01.2025, इस संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

In partial modification to Office Order issued under ref. No. GAD/LB/46-RTI/2025/04467 dated 17.01.2025, the following Officers of this organization are designated as Central Public Information Officer (CPIO) and Central Assistant Public Information Officer (CAPIO).

Sr. No	विभाग Department	सीपीआईओ का नाम Name of CPIO	सीएपीआईओ का नाम Name of CAPIO
1	समुद्री विभाग Marine Department	श्री राम मोहन चेलुरी, मुख्य अभियंता (समुद्री) Shri Ram Mohan Chelluri, Chief Engineer(Marine)	श्री राजेश मालवकर, स्थापना अधिकारी Shri Rajesh Malvankar, Establishment Officer

उपरोक्त सीपीआईओ और सीएपीआईओ, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

The aforementioned CPIO and CAPIO, shall execute their duties as envisaged in terms of the provisions stipulated under the Right to Information Act, 2005.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

Secretary

...2/-